न्यायालय उपजिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री [illegible] (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 67 / 17 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उनवान

[illegible] महाराज जरिये सेवादार [illegible] / हरिराम ग्राम बीधा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा। (प्रार्थीगण)

बनाम

1. [illegible] पुत्र श्री हरवक्श, जाति मीणा निवासी ग्राम बीधा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।
2. [illegible] सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ पचवारा जिला दौसा। (अप्रार्थीगण)

उपस्थिति – श्री मोतीलाल सैनी अधिवक्ता (प्रार्थी)

श्री [illegible] सैनी अधिवक्ता (अप्रार्थी स० 1 की ओर से)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक :- 31.7.19

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं० 22 रकबा [illegible] बीघा 6 बिस्वा हैक्टर भूमि वाके ग्राम बीधा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा पर मंदिर श्रीजी महाराज विराजमान है इस सम्पति पर कन्हैयालाल पुत्र [illegible], हरिराम पुत्र [illegible] सेवादार रहकर खेती करता चला आ रहा है। उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] मीना के हक में होने पर विवाद हुआ जो पंचो ने आपसी सहमति से इन्द्राज अप्रार्थी सं 1 [illegible] दोनो बीच में दिनांक 24.9.84 को फैसला लिया [illegible] दस रुपये के स्टाम्प पर तत्कालीन पटवारी [illegible] के पक्ष में छाजू मीना ने एक विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और [illegible] हरिराम व [illegible] कर लिये। और दिनांक 16.10.84 को विक्रय पत्र मंदिर श्रीजी महाराज के नाम गांव के लोगों व पंच पटेलो के सामने तस्दीक करवा दिया। तत्पश्चात उक्त भूमि पर सेवादारो ने पेड पौधे लगाकर [illegible] किया। बोरिंग करवाया। बिजली कनेक्शन लिया। रिहायशी मकान बनवाया। [illegible] निरन्तर काबिज चले आ रहे है। दिनांक 28.12 को अचानक अप्रार्थी सं० 1 विवादित जमीन पर [illegible] पहुंचा। जिस पर वाद विवाद होने पर सेवादारो ने यह दावा संविदा की पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीजी महाराज की ओर से अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश लालसोट के यहां पेश किया। जो लम्बित है तथा एक एफआईआर सं० 63 / 18 भी दर्ज करवायी गयी है। प्रार्थी का यह अधिकार है वह उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाए। घोषणा मुताबिक रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाये। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात मुतनाजा के कब्जे दखल में माने मजाहमत न करे रहन बेचान न करे मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं01 की ओर जवाब [illegible] पेश किया जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य अस्वीकार करते हुए निवेदन किया विवादित आराजीयात अप्रार्थी सं० 1 [illegible] एवम् खातेदारी की है विक्रय पत्र दिनांक 24.09.84 व 16.10.84 कूटरचित है

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] दौसा (राज.)

प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं कि उक्त आराजी में बोरिंग लगायाए, बिजली कनेक्शन लेवे। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विधि में यह व्यवस्था स्थापित है कि अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पक्षकारान को अपने पक्ष में तीन बिन्दु सिद्ध करने होंगे। जिनकी हम निम्न प्रकार विवेचना करते है।

प्रथम दृष्टया केस–

यह तथ्य अविवादित है कि आराजी ख0नं0 22 रकबा 20 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम बीजा की अप्रार्थी की खातेदारी की है तथा उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य हुए करार-पत्र की पालना के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद लम्बित है। जिसकी प्रति न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। चूंकि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद-पत्र में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रा0पत्र गुण अवगुण के आधार पर निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष मे किसी भी दृष्टि से प्रथम दृष्टया केस सिद्ध नही होता।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षती:–

विस्तृत में प्रथम दृष्टया केस के विवेचन में अंकित किया है उसी परिपेक्ष्य में दोहराव से बचने की गरज से हम यह पाते है खातेदारो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना सुविधाजनक नही है और प्रार्थी को किसी तरह की अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना भी नही है

अतः हमारे विनम्र अभिमत में तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध न होने के कारण प्रा0 पत्र अस्वीकार किया जाना विधि संगत हैं

::आदेश::

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(बद्री नारायण मीना आए0ए0एस)
उपजिला कलेक्टर
रामगढ पचवारा।

यह निर्णय आज दिनांक 31.7.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्तारित व उच्चारित किया गया।

उपजिला कलेक्टर
रामगढ पचवारा।